कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1482 /बदायूँ/23705/2017, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 01/12/, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त,
बरेली।

विषय : बदायूँ में मेरठ–बदायूँ मार्ग (एस0एच0–18) किमी0 163.000 से 208.400 तक (किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक) 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–1870/14–1, दिनांक 14.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 16.08.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि पूर्व में प्रभावित वृक्षों की संख्या 10647 थी। वर्तमान में सन्दर्भित पत्र के विषय में वृक्षों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड वृक्षों की संख्या 11620 है एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अंकित सूचना में 11256 वृक्षों के पातन का समावेश है व प्रस्ताव के साथ 11256 वृक्षों की सूची संलग्न है, जो विसंगतिपूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जिनके अभाव में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त अपूर्ण सूचनायें जो निम्न प्रकार हैं :–

1– सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–2 के कम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Details पर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के कम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नहीं किया गया है।

3– सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के कम में उ0प्र0शासन द्वारा पार्ट–5 पर की गयी संस्तुति को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराने का कष्ट करें।

4– सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के कम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंचुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड करें। उक्त के अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख नहीं है, उक्त अंश का समावेश करते हुए संशोधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें व ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड कराकर भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 16.08.2017 द्वारा इंगित समस्त सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1482 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि सूचनाओं/अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड कराकर भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 16.08.2017 द्वारा इंगित समस्त सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर अपने वन संरक्षक को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।